राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोनः– 2708739 E-mail: rajssa.training@gmail.com फैक्सः– 2701822

क्रमांक : राप्राशिप/जय/प्रशिक्षण/ PEEO'S /2017–18/ 9021 दिनांक : 10/11/17

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

जिला शिक्षा अधिकारी, (मा0शि0) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
रमसा, समस्त जिले।

विषय – मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार सत्र 2017–18 में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों की तीन दिवसीय आवासीय कार्यशाला जिला स्तर पर आयोजन करने के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षण व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ करने एवं राज्य / भारत सरकार उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्रत्येक बालक–बालिका तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक पंचायत पर पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) नियुक्त कर इन्हें विभिन्न प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यो का दायित्व दिया गया है। राज्य सरकार की मंशानुसार शिक्षण व्यवस्था प्रत्येक वर्ग एवं स्तर पर पहुंचाने के प्रयासों के अन्तर्गत पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों की तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला स्तर पर किया जाना है। तीन दिवसीय कार्यशाला निम्नलिखित तिथियों में चार चरणों में आयोजित की जाएगी –

कार्यशाला के चरण	कार्यशाला की तिथिया
प्रथम चरण	27 से 29 नवम्बर, 2017
द्वितीय चरण	30 नवम्बर से 02 दिसम्बर, 2017
तृतीय चरण	04 से 06 दिसम्बर, 2017
चतुर्थ चरण	07 से 09 दिसम्बर, 2017

जिला स्तरीय तीन दिवसीय आवासीय पीईईओ कार्यशाला की गुणवत्ता एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु परिषद स्तर पर कार्यरत सामुदायिक गतिशीलता अनुभाग से जारी दिशा निर्देश राप्राशिप/जय/सामुदायिक गति0/2017–18/6095 दिनांक 29.08.2017 की पालना करते हुए कार्यशाला का आयोजन करने का श्रम करें। साथ ही यहां उल्लेखनीय है कि उक्त प्रशिक्षण अवधि में यदि किन्ही संभागियों को एसआईईआरटी, उदयपुर द्वारा आयोजित एसआरजी / केआरपी के प्रशिक्षण में नामित किया जाता है तो ऐसे संभागियों को उक्त कार्यशाला से मुक्त रखा जाए।

संलग्न – जिलेवार पीईईओ की संख्यात्मक सूची।

(डॉ0 जोगाराम)
आयुक्त

क्रमांकः राप्राशिप/जय/शिक्षक प्रशिक्षण/2017–18/ 9022 दिनांकः 10/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राज0 प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, राज0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप / रामाशिप, जयपुर।
7. अति0 जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए / रमसा, समस्त जिला।
8. उपायुक्त, सामुदायिक गतिशीलता, राप्राशिप, जयपुर।
9. उपायुक्त, लीडरशिप प्रशिक्षण, रामाशिप, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 प्रियाबलराम शर्मा)
उपायुक्त, प्रशिक्षण

www.rajteachers.com

No. of PEEOs and Gram Pranchayat

SN	Distt_Name	Gram Panchayat	PEEO
1	AJMER	282	282
2	ALWAR	512	512
3	BANSWARA	346	346
4	BARAN	221	221
5	BARMER	489	489
6	BHARATPUR	374	374
7	BHILWARA	384	384
8	BIKANER	290	290
9	BUNDI	183	183
10	CHITTAURGARH	290	290
11	CHURU	254	254
12	DAUSA	234	234
13	DHAULPUR	171	171
14	DUNGARPUR	291	291
15	GANGANAGAR	336	336
16	HANUMANGARH	251	251
17	JAIPUR	532	532
18	JAISALMER	140	140
19	JALOR	274	274
20	JHALAWAR	252	252
21	JHUNJHUNU	301	301
22	JODHPUR	466	466
23	KARAULI	227	227
24	KOTA	155	155
25	NAGAUR	467	467
26	PALI	321	321
27	PRATAPGARH	165	165
28	RAJSAMAND	207	207
29	SAWAI MADHOPUR	200	200
30	SIKAR	343	343
31	SIROHI	162	162
32	TONK	230	230
33	UDAIPUR	544	544
	Grand Total	**9894**	**9894**

www.rajteachers.com

(66)

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2705484 rajssa_cmecce@yahoo.com फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : राप्राशिप/जय/रामु0गति0/2017–18/ 6095 दिनांक : 29/8/17

सामुदायिक गतिशीलता

दिशा–निर्देश

(सत्र 2017–18)

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) का 3 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला

सत्र 2017–18 में 9894 ग्राम पंचायतों पर कार्यरत पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को अधीनस्थ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों व विद्यालय विकास योजना का अवलोकन/मीड–डे मिल की गुणवत्ता जांच/एसएमसी की बैठकों का आयोजन/अध्यापक अभिभावक मीटिंग का समय पर आयोजन। विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं एसएमसी एवं पीटीए मीटिंग में चर्चा करना। भामाशाह/दानदाताओं को विद्यालय में सहयोग हेतु प्रेरित करना। विद्यालय विकास हेतु जन–प्रतिनिधियों से समन्वय कर सहयोग प्रदान करना आदि दायित्व दिये गये है। उपरोक्त दायित्वों के निर्वहन व प्रशासनिक दक्षताओं एवं अकादमिक तथा एसएमसी के साथ समन्वयक स्थापित किये जाने हेतु समस्त (PEEOs) का 3 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। इस हेतु बजट ₹59.364/– लाख का प्रावधान है।

1. KRP हेतु कार्यशाला :–

2. 3 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला :–

- सितम्बर–अक्टूबर माह में जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को प्रशिक्षण देने हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु तैयार किये जाने वाले लगभग 264 केआरपी राज्य स्तर पर तैयार किये जायेगें। इस प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय यूनिसेफ द्वारा वहन किया जायेगा।
- मॉड्यूल निर्माण मुद्रण एवं वितरण में तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग यूनिसेफ द्वारा किया जायेगा।
- मॉड्यूल निर्माण हेतु परिषद के अधिकारी, पीरामल फाउण्डेशन एवं बोध शिक्षा समिति के विशेषज्ञ संदर्भ व्यक्ति KRP प्रशिक्षण में SRG के रूप में कार्य करेंगे। जिला स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण में स्वयंसेवी संस्थाओं के संदर्भ व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जाये।

www.rajteachers.com

- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को प्रशिक्षण के दौरान नियमानुसार दिये जाने वाला यात्रा व दैनिक भत्ता स्वयं के कार्यालय से देय होगा।
- एपीसी (सामु.गति) एसएसए एवं कार्यक्रम अधिकारी, रमसा शिविर प्रभारी रहेंगी। आवासीय व्यवस्था एवं अन्य जिम्मेदारी इनकी रहेगी।
- व्यवस्था एवं अन्य कोई प्रकरण जिला स्तरीय कमेटी (DAG) के निर्देशानुसार निस्तारित करेंगे।

✓ ***जिला स्तरीय कमेटी*** (DAG) ***निम्नानुसार होगी :-***

1. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान।
2. जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
3. प्रधानाचार्य, डाइट
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।

✓ ***जिला स्तरीय कमेटी का दायित्व :-***

- केआरपी का चयन।
- केआरपी के रूप में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर कार्यरत अधिकारियों एवं कुशल/दक्ष व्यक्तियों को चयन में प्राथमिकता।
- प्रशिक्षण से तैयारी बैठक की जाये।
- समय पूर्व आदेश प्रसारित एवं दूरभाष द्वारा पीईईओ को प्रशिक्षण स्थल, आवास एवं दिनांक की जानकारी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण पूर्णतया आवासीय होंगे।
- प्रशिक्षण स्थल का चयन करते समय आवश्यक सुविधाएं–कमरे, स्नानघर, पंखे, बिजली, पानी, स्वच्छता आदि सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण स्थल पर महिला संभागियों की संख्या अधिक है तो महिला केआरपी (यदि उपलब्ध है तो) या महिला शिविर प्रभारी लगाया जाये।
- जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाये एवं प्रतिदिन सूचना परिषद् कार्यालय के सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ के दूरभाष एवं ईमेल आई.डी. **rajssa_cmecce@yahoo.com** प्रेषित की जाये।
- PEEO's प्रशिक्षण शिविर में संभागियों की संख्या अधिकतम 35 से 40 होगी।
- प्रशिक्षण हेतु स्थान का चयन–डाईट/एसआईईआरटी/ छात्रावास/महाविद्यालय अन्य सुविधाजनक स्थल इत्यादि।

www.rajteachers.com

(64)

✓ ***प्रशिक्षण स्थल पर निम्नलिखित व्यवस्थाएं :-***

- पीईईओ हेतु हेतु चाय–नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था।
- प्रशिक्षण स्थल पर प्रोजेक्टर, स्टेशनरी एवं शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धता।
- आपातकालीन स्थितियों के लिए चिकित्सा सुविधा।
- महिला एवं पुरूषों की पृथक–पृथक आवास व्यवस्था।
- पीईईओ प्रशिक्षण स्थल एवं आवासीय स्थल में विद्युत, पेयजल, अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था।

✓ ***पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी*** (PEEO) हेतु 3 दिवसीय आवासीय ***कार्यशाला हेतु वित्तीय प्रावधान :-***

- आवासीय प्रशिक्षण आयोजन हेतु ₹ 200/– प्रति व्यक्ति प्रति दिवस की सीमा में 40 संभागियों हेतु निम्न वित्तीय मानदण्डानुसार व्यय किया जा सकेगा –

40 संभागी, 3 दिवस, ₹200/–प्रति व्यक्ति प्रति दिवस

40x3 x200 = ₹24000/- (चौबीस हजार रूपये मात्र)

क्रस	मद का नाम	राशि	कुल प्रशिक्षण दिवस	संभागी की संख्या	कुल राशि
1	आवास एवं बैठक व्यवस्था	20	3	40	2400
2	पेयजल, कूलर पंखे, बिजली आदि	400	3	0	1200
3	दो समय भोजन एवं तीन बार चाय व अल्पाहार	120	3	40	14400
4	टीएलएम	4	3	40	480
5	केआरपी को मानदेय	400	3	2	2400
7	विविध व्यय (प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, जनरेटर, फोटोग्राफी, फोटो स्टेट आदि)				3120
				कुल व्यय	24000

उपरोक्त उपमदोंनुसार राशि आवंटन में परिवर्तन/समायोजन स्थानीय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। संभागियों की सख्या कम/अधिक होने पर व्यय आनुपातिक रूप में किया जा सकेगा। इस संबंध में किसी प्रकार के भ्रम अथवा समस्या की स्थिति में परिषद् से लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य किया जावें।

(डॉ. जोगाराम)
आयुक्त

क्रमांक : राप्राशिप/जय/सामु0गतिं0/17–18/ 6096 दिनांक : 29/8/17

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. निजी सचिव, वित्त नियत्रंक, (प्लान/योजना) राप्राशिप,जयपुर।
6. जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, समस्त जिले।
7. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान–समस्त जिले।
8. रक्षित पत्रावली।

29/8/17
अतिरिक्त आयुक्त

www.rajteachers.com

सामुदायिक गतिशीलता

District Wise PEEOs 2017-18

क्रमांक	जिला	जिलेवार PEEO की संख्या	यूनिट कॉस्ट 200 per PEEOs per day	कुल राशि
1	AJMER	282	200×3×282=	1.69
2	ALWAR	512	200×3×512=	3.07
3	BANSWARA	346	200×3×346=	2.08
4	BARAN	221	200×3×221=	1.33
5	BARMER	489	200×3×489=	2.93
6	BHARATPUR	374	200×3×374=	2.24
7	BHILWARA	384	200×3×384=	2.30
8	BIKANER	290	200×3×290=	1.74
9	BUNDI	183	200×3×183=	1.10
10	CHITTAURGARH	290	200×3×290=	1.74
11	CHURU	254	200×3×254=	1.52
12	DAUSA	234	200×3×234=	1.40
13	DHAULPUR	171	200×3=171=	1.03
14	DUNGARPUR	291	200×3=291=	1.75
15	GANGANAGAR	336	200×3=336=	2.02
16	HANUMANGARH	251	200×3×251=	1.51
17	JAIPUR	532	200×3×532=	3.19
18	JAISALMER	140	200×3×140=	0.84
19	JALOR	274	200×3×274=	1.64
20	JHALAWAR	252	200×3×252=	1.51
21	JHUNJHUNUN	301	200×3×301=	1.81
22	JODHPUR	466	200×3×466=	2.80
23	KARAULI	227	200×3×227=	1.36
24	KOTA	155	200×3×155=	0.93
25	NAGAUR	467	200×3×467=	2.80
26	PALI	321	200×3×321=	1.93
27	PRATAPGARH (RAJ.)	165	200×3×165=	0.99
28	RAJSAMAND	207	200×3×207=	1.24
29	SAWAI MADHOPUR	200	200×3×200=	1.20
30	SIKAR	343	200×3×343=	2.06
31	SIROHI	162	200×3×162=	0.97
32	TONK	230	200×3×230=	1.38
33	UDAIPUR	544	200×3×544=	3.26
Total		9894		59.36

www.rajteachers.com

A D (CM)